भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 306

उत्तर देने की तारीखः 04.02.2025

अनुसूचित जाति समुदायों के युवा उद्यमियों को सहायता

306. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अनुसूचित जाति समुदायों के युवा उद्यमियों को सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार के अंतर्गत आरंभ की गई, लागू और वर्तमान में चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के लाभार्थियों की कुल संख्या का योजनावार, राज्यवार और आन्ध्र प्रदेश में जिलावार विशेषकर प्रकाशम जिले में; ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति समुदायों के युवा उद्यमियों के लिए चलाई गई विभिन्न प्रशिक्षण पहलों और परामर्श कार्यक्रमों का राज्यवार और आन्ध्र प्रदेश में जिलावार विशेषकर प्रकाशम जिले में, ब्यौरा क्या है; और

(घ): क्या सरकार ने अनुसूचित जाति समुदायों के युवा उद्यमियों के लाभार्थ सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कार्यकलाप/अभियान चलाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क): भारत सरकार ने वर्ष 2015 में अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड योजना (वीसीएफ-एससी) शुरू की थी। इस योजना का कार्यान्वयन आईएफसीआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत में अनुसूचित जातियों के बीच रियायती वित प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, वीसीएफ-एससी योजना के भीतर, अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम) को 30 सितंबर, सितंबर, 2020 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों,

अनुसंधानकर्ताओं और टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टीबीआई), अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) आदि में काम करने वालों के बीच नवाचार (innovation) को बढ़ावा देना है।

(ख): आंध्र प्रदेश राज्य में वीसीएफ-एससी योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या का जिलावार विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	**जिला**	**लाभार्थियों की संख्या**	**वितरित राशि (रु. करोड़ में)**
2019	विशाखापत्तनम	1	-
	नेल्लोर	1	3.57
2020	विशाखापत्तनम	1	-
2021	-	-	-
2022	विशाखापत्तनम	1	6.16
2023	विशाखापत्तनम	1	4.33
2024	-	-	-
2025 (आज तक)	कोई नहीं		
कुल		**5**	**14.06**

प्रकाशम जिले से कोई लाभार्थी नहीं हैं और आंध्र प्रदेश में एएसआईआईएम के तहत कोई लाभार्थी नहीं हैं।

(ग): आईएफसीआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड अपने ऑनलाइन पोर्टल 'ऐ-मेंटर' के माध्यम से विभिन्न उद्योगों में अनुभवी मेंटरों से ग्रोथ के लिए सहायता चाहने वाले अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए एक मेंटरशिप कार्यक्रम चलाता है। अप्रैल 2022 में कार्यक्रम की शुरूआत के बाद से, आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति के उद्यमियों के अनुरोधों के आधार पर तीन अलग-अलग मेंटरों द्वारा छह मेंटरशिप सत्र आयोजित किए गए हैं। यह कार्यक्रम राज्यवार या ज़िलेवार आयोजित नहीं किया जाता है।

(घ): आईएफसीआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड वीसीएफ-एससी योजना (एएसआईआईएम सहित) के लिए विभिन्न विपणन, प्रचार और जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित कर रहा है। इन गतिविधियों में वेबिनार आयोजित करना, संभावित उद्यमियों को योजना ब्रोशर वितरित करना और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति केंद्र, प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर, दलित भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल आदि से प्राप्त उद्यमियों के डेटाबेस को प्रोफेशनल मैसेज को थोक में भेजना शामिल है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी अनुसूचित जाति की जनता के बीच योजना को पहुँचाने और इसे समझाने के लिए ब्रोशर का तेलुगु में अनुवाद किया गया है।

****